"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151-फ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2007—ज्येष्ठ 18, शक 1929

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2007

अधिसूचना

क्रमांक - एफ 4-3/2007/38.— छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन), अधिनियम, 2006 (क्र. 25 सन् 2006) की धारा-68 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 है.

2. यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएँ** - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय तथा उच्च शिक्षा (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 ;

(ख) "तदर्थ अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा इस निमित्त बनाये गये प्रावधानों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के संबंध में स्वीकृत किये गये अनुदान की स्वीकृति ;

(ग) "सहायता प्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत संधारण अनुदान के द्वारा नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई भी महाविद्यालय या संस्थान ;

(घ) "कालेज कोड" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के परिनियम 28 के अधीन अन्तर्विष्ट किए गए प्रावधान ;

(ङ) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार द्वारा सम्यक् रूप से संधारित या स्वीकृत निजी सहायता या बिना सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं जो महाविद्यालय या महाविद्यालय से भिन्न संस्थान, नाम की स्थापना में चलाये जा रहे हो, किन्तु जो स्वरूप, कार्यक्षेत्र, मापदण्ड तथा सीमा जो उच्च शिक्षा के महाविद्यालय के अवधारणा के अधीन आती हो ;

(च) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा का आयुक्त अथवा वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अभी अपनी ओर से शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्य के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया प्राधिकारी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, किया जा सकेगा ;

(ज) "शैक्षणिक अभिकरण" से अभिप्रेत है, जब तक विशेष रूप से अन्यथा दर्शाया न हो, शैक्षणिक समिति, सोसायटी, ट्रस्ट या संघ, जो उच्च शिक्षा में अशासकीय शैक्षणिक संस्था को चलाते हो, या उसकी देखरेख करता हो, प्रशासन करता हो, नियंत्रित करता हो;

(झ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त या अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्था द्वारा नियोजित शैक्षिक अथवा अशैक्षिक स्टॉफ के सदस्य ;

(ञ) "संस्थापना समिति" से अभिप्रेत है, कानूनी निगमन तथा पंजीयन के लिए विधि द्वारा निगमित या पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय, जिसका निधि तथा संधारण विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से प्रविष्टी लेने के लिए शैक्षणिक संस्थान को ग्रहण करता है तथा जहां छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 33 के अधीन इस समाज के प्रशासी निकाय को अधिष्ठित किया जाता है, समाज के कार्यों के व्यवस्थापन के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों का समूहय

(ट) 'सामान्य शिक्षा" से अभिप्रेत है, तकनीकी शिक्षा से भिन्न शिक्षा की सभी शाखाएं, तथा जिनमें विशेष शिक्षा सम्मिलित है ;

(ठ) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय संहिता के परिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित शासकीय निकाय ;

(ड) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ;

(ढ) "अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा अकादमिक स्तर के उन्नयन एवं संधारण तथा अधोसंरचना के लिए संधारण (वेतन) अनुदान, तदर्थ सहायत्ता अनुदान या जैसा मामला हो, किसी अन्य रूप में शैक्षिक संस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उपबंधित वित्तीय अनुदान

(ण) "उच्च शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, शासन के अधीन कार्यरत उच्च शिक्षा विभाग ;

(त) "निरीक्षण" से अभिप्रेत है, संस्था के विकास में इसके कृत्यों तथा शैक्षणिक संस्थानों के समग्र मूल्यांकन तथा भवनों, ग्रंथालयों प्रयोग शालाओं, क्रिडांगनों तथा अन्य संबंधित मुददों के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अवधारित किये अनुसार अभिलेखों, रिकार्डो की छान–बीन तथा विशिष्ट भौतिक जांच ;

(थ) "संस्था" से अभिप्रेत है, अशासकीय महाविद्यालय ;

(द) "संधारण/वेतन अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते आदि के लिए नियमित रूप से दिया जाने वाला अनुदान;

(ध) "प्रबंधन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (कमांक 44 सन् 1973) के संदर्भ में उसका शासी निकाय किसी संस्था के संबंध में तथा अभिव्यक्त संस्था का प्रबंधन तदनुसार व्याख्या किया जायेगा ;

(न) "अशासकीय महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, शासन के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण से परे व्यक्तियों किसी समूह, ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा प्रबंधीकृत तथा संचालित महाविद्यालय ;

(प) "सहायता अप्राप्त" से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय या संस्था से भिन्न महाविद्यालय;

(फ) "संस्थापना समिति का अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति, जो आधारभूत समिति द्वारा विधिवत् उसका अध्यक्ष (जिस नाम से पुकारा जाता हो) चुना गया हो और उसका कार्यकारी प्रमुख हो और यदि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973, की धारा 33 के तहत् समिति बर्खास्त की गई हो, तो राज्य शासन द्वारा समिति के कार्यो की देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति के समूह का मुखिया ;

(ब) "शिक्षक" से अभिप्रेत है, उस संस्था में शिक्षा देने के लिए नियुक्त शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक स्टाफ का कोई सदस्य ;

(भ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और कोई ऐसा संस्थान उसमें समाहित है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में सन्निहित विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श से मान्यता प्राप्त हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य की परिसीमा में कार्यरत हो ;]

(म) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;

(य) "प्ररूप" इस नियम के लिए संलग्न (प्ररूप) ;

(कक) "शब्द एवं अभिव्यक्तियॉ" जिनका इस नियम मे प्रयोग किया गया है किन्तु परिभाषित नही है, उनकें वही अर्थ होंगें जो उनके लिए उच्च शिक्षा में अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्थान(स्थापना तथा विनियमन) अधिनियम, 2006 में समुनुदेशित हैं ।

3. विद्यमान संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान–(1) अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थाओं को इन नियमों के प्रभावशील होने के तत्काल बाद से एक वर्ष की अवधि में धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक प्रमाण–पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे ।

(2) धारा 11 के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के द्वारा (प्ररूप क0 1) में अनुशंसा सहित प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।

4. शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति – विभिन्न प्रचार माध्यमों, जैसे स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु निर्धारित प्रकियाधीन अधिसूचना माह जुलाई के अंतिम सप्ताह तक धारा 6 की उपधारा कमशः "क" "ख" "ग" के संदर्भ में जारी की जायेगी । इनसे संबंधित प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

(1) उक्त अधिनियम 2006 की धारा 6 एवं 7 के अधीन अशासकीय महाविद्यालय खोलने के लिए आवेदन तीन प्रतियों में आयुक्त, उच्च शिक्षा को (प्ररूप क03) में आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(2) आवेदन का प्रपत्र व्यक्तिशः या डाक द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा के नाम से किसी भी राष्ट्रीय कृत / के नाम से 5000रू0 (पांच हजार रूपये मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट में समिति के नाम पते स्पष्ट उल्लेख के साथ रायपुर में भुगतान हेतु प्राप्त किया जाना चाहिए ।

(3) आवेदन का प्रपत्र यदि डिमांड ड्राफ्ट 5000रू0 (पांच हजार रूपये मात्र) के साथ निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो अस्वीकृत कर दिया जावेगा, तथा जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी ।

(4) प्रायोजक समिति को धारा 7 के प्रावधानानुसार पंजीयन के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा शैक्षणिक समिति के संविधान और उपनियम प्रस्तुत करना होगा ।

धारा 6 की उपधारा ग- हेतु निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । आवेदन प्रपत्र (प्ररूप क. 3) के अनुसार किया जायेगा ।

5. **अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन** :–आवेदक संस्था को प्ररूप संख्या में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमति के लिए आवेदन, अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करेगा ।

6. **निकाय निधि** :–आवेदक संस्थाओं को अधिनियम की धारा 8 के अधीन निकाय निधि तथा संस्था के विकास के लिए राशि जमा करेगा ।

निकाय निधि के अधीन जमा राशि निम्नानुसार होगी:–

(क) विद्यार्थियों तथा सहशिक्षा के लिए महाविद्यालय हेतु रू. 10 लाख ।

(ख) यू0जी0 महाविद्यालय हेतु (लड़कियों के लिए या आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित महाविद्यालयों के लिए) रू. 5 लाख ।

टीप :– (अ) उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के लिए निकाय निधि का एक तिहाई भाग किसी राष्ट्रीकृत अथवा अनुसूचित बैंक में सावधिक जमा रसीद के रूप में महाविद्यालय आरंभ करने के पूर्व जमा किया जा सकता है और शेष राशि का भुगतान भी सावधिक जमा रसीद के रूप में प्रथम सावधिक जमा रसीद की तारीख को दृष्टिगत करते हुए दो समान वार्षिक किस्तों में जमा करनी होगी ।

(ब) आवेदनकर्ता समिति को निर्धारित प्रपत्र में उस राष्ट्रीयकृत / अनुसुचित बैंक जहां से संयुक्त खाते में निकाय निधि के भुगतान का सावधिक जमा रसीद जारी किया है, एक पत्र प्राप्त करते हुए आयुक्त कार्यालय (संबंधित शाखा) समक्ष सावधिक जमा रसीद की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(2) वित्तीय संसाधन :– महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए निर्धारित निकाय निधि जमा करने के अतिरिक्त निम्नलिखित न्यूनतम वित्तीय संसाधन दर्शाने होगें :–

(क) बी.ए. या बी.काम. (प्रत्येक समुह में) राशि रू. 3.00 लाख

(ख) बी.ए. एवं बी.काम. (प्रत्येक पाठ्यक्रम में, एक समुह के लिए) राशि रूपये 4.00 लाख

(ग) बी.एस.सी. (प्रत्येक समूह के लिए) राशि रू. 5.00 लाख

(घ) बी.ए. या बी कॉम के साथ बी.एस.सी. (प्रत्येक पाठ्यक्रम में, एक समुह के लिए) राशि रूपये 6.00 लाख

(ङ) बी.ए., बी.कॉम और बी.एस.सी. (प्रत्येक समुह, पाठ्यक्रम के लिए) राशि रूपये 7.00 लाख

(च) डिग्री (स्नातक स्तर) प्रायोगिक विषय के लिए राशि रूपये 5.00 लाख डिग्री अप्रायोगिक हेतु 3.00 लाख प्रत्येक अतिरिक्त डिग्री हेतु राशि रूपये 1.00 लाख जिस डिग्री के लिए निर्धारित अधिकतम राशि हो उसमे रूपये 1.00 लाख जोड़ा जाए

(छ) स्नातकोत्तर डिग्री प्रायोगिक हेतु राशि रूपये 3.00 लाख अप्रायोगिक हेतु राशि रूपये 2.00 लाख

(ज) स्नातक डिप्लोमा प्रायोगिक हेतु राशि रूपये 2.00 लाख तथा अप्रायोगिक हेतु राशि रूपये 1.00 लाख 50 हजार

(झ) स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रायोगिक राशि रूपये 3.00 लाख तथा अप्रायोगिक के लिए राशि रूपये 2.00 लाख

(ञ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमो के लिए राशि रूपये 8,00 लाख

टीप :— (एक) वित्तीय संसाधन को समिति के सचिव के नाम से जारी छः माह की अवधि के लिए सावधिक जारी जमा रसीद के रूप में दर्शाया जावेगा ।

(दो) सावधिक जमा रसीद की मूल प्रति को आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

7. उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार :— धारा 9 में

वर्णित प्रावधानानुसार शैक्षणिक संस्थाओं के भूमि भवन की व्यवस्था निम्नानुसार करनी होगी :—

(1) भूमि — विशेष भूमि का नजरी नक्शा जिसमें भूमि के स्थान का आकार जो कि दस्तावेज में दर्शाये है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा ।

(2) भवन व्यवस्था :— (अ) संस्थापना समिति कम से कम 2461.54 मीटर (8 हजार वर्ग फीट) क्षेत्रफल वाले भूमि स्वयं के भवन अथवा लीज के भवन को उपलब्ध करायेगी तथा यह भवन अध्यापन कक्षों के लिए योग्य होना चाहिए ।

(ब) प्रत्येक कक्ष का कमरा तथा प्रयोगशाला का क्षेत्रफल 184.62 मीटर (600 वर्ग फीट) होगा इसके अतिरिक्त समिति निम्नांकित सामान्य सुविधाओं हेतु स्थान उपलब्ध करायेगी :—

(1) प्रचार्य कक्ष	—	6.15X4.62 = 28.41 मीटर (20X15 = 300)
(2) कार्यालय कक्ष	—	6.15X7.69 = 47.29 मीटर (20X25 = 500)
(3) स्टाफ रूम	—	6.15X6.15 = 37.82 मीटर (20X20 = 400)
(4) लाइब्रेरी कक्ष	—	9.23X15-38 = 141.95 मीटर (30X50 = 1500)
(5) महिला कक्ष	—	6.15X6.15 = 37.82 मीटर (20X20 = 400)
(6) छात्रा कक्ष	—	6.15X9.23 = 56.77 मीटर (20X30 = 600)
(7) छात्र कक्ष	—	6.15X9.23 = 56.77 मीटर (20X30 = 600)
(8) व्याख्यान कक्ष	—	6.15X9.23 = 56.77 मीटर (20X30 = 600)
(9) एन.सी.सी. / खेलकूद	—	73.85 X73.85 = 5453.82मीटर(240X240 = 57600)
(10)प्रयोगशाला	—	6.15X9.23 = 56.77 मीटर (20X30 = 600) प्रत्येक

नोटः— टायलेट छात्र / छात्राओं के लिए अलग—अलग, (पुरूष व स्त्री के लिए अलग—अलग) पेयजल सुविधा आवश्यक रूप से होनी चाहिए ।

क0	विवरण	न्यूनतम संख्या	न्यूनतम क्षेत्रफल
1.	अध्यापन कक्ष	06	6X184.62 = 1107.69 मीटर (06X600=3600)
2.	प्रयोगशाला कक्ष	05	5X184.62 = 1107.69 मीटर (05X600=3000)
3.	सामान्य सुविधाएं प्राचार्य कक्ष आदि	07	615.39 मीटर (2000)

नोटः–भवन जो निर्माण की स्थिति में हो उसे नये महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए विचार में नहीं लिया जावेगा । शिक्षण समिति नगर निगम अथवा ग्राम पंचायत के आदेश की प्रति जमा करेगी जिसमें अनुमोदित नक्शा सहित भवन का प्रस्ताव हो कक्षों के विवरण के लिए निम्नलिखित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र के साथ जानकारी संलग्न की जावेगी ।

स.क.	भवन संख्या	कक्ष संख्या	आकार ल.xचौ मी. में	क्षेत्रफल

दो या उससे अधिक संस्थाओं को एक ही परिसर में पारियों में चलाने की अनुमति नहीं होगी

8- **भवन व्यवस्था में छूट** :– महिला महाविद्यालय अथवा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र में महाविद्यालय प्रस्तावित होने की दशा में निरीक्षण के समय 1846.15 मीटर (6000 वर्ग फीट) क्षेत्रफल उपलब्ध होना चाहिए तथा तीन वर्ष के भीतर 2461.54 मीटर (8000 वर्ग फीट) क्षेत्रफल का भवन तैयार हो जाना चाहिए ।

9. **आवेदन और वापसी** :– नये महाविद्यालय आरंभ करने हेतु आवेदन प्रपत्र निर्धारित विधि से रू0 5000/– भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है ।

(1) आवेदन प्रपत्र न तो वापस होगा न ही उसकी कीमत लौटाई जायेगी ।

(2) नये विषय/संकाय प्रारंभ करने के लिए शुल्क तथा आवेदक द्वारा प्रकिया में जमा किए गए शुल्क को संस्था निम्नलिखित मामलों में लौटाये जाने के लिए उत्तरदायी है, जो प्रयोगशालाओं की कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं :–

नवीन महाविद्यालयो में विज्ञान संकाय आरंभ करने हेतु प्रयोगशालाओं के लिये कम से कम आवश्यकताएँ :–

(अ) वनस्पतिशास्त्र की प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिए) (अधि. 80)

(1) प्रयोगशाला का क्षेत्रफल 9.23X6.15 मीटर 30'20'
(2) प्रयोगशला की लैब टेबल 6
(3) लैब में टैप (पानी) फिटिंग, सिंक,नालियाँ,गैस व्यवस्था,प्रचुर मात्रा में सूर्य किरणों के लिए बड़ी खिड़किया तथा बिजली की व्यवस्था ।
(4) स्टोर की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के लिए स्टूल आदि की व्यवस्था ।
(5) रैक्स की व्यवस्था – 06 नग
स्टेनिंग जार रैक्स – 12 नग
(6) कंपाउंड माइकोस्कोप्स – 15 नग
(7) डिसेक्टिंग माइकोस्कोप्स – 15 नग
डिसेक्शिंग ट्रे बड़ी – 40 नग
डिसेक्शिंग ट्रे छोटी – 40 नग
डिसेक्टिंगक बॉक्स – 3 नग
(8) केमिकल्स–फारमलिन,ग्लिसरीन,एल्कोहल,स्टार्च,ग्लूकोज,मोम,ऐसिटिक एसिड ईथर
(9) बनाये हुए स्टेण्ड, काइको स्लाइड्स – 100 विभिन्न प्रकार के
(10) स्टेनस ओर डाइस –
बोरकेक्स कार्माइन
होमोटोक्सीलीन
एसिड फॅयूसिनन
फास्ट ग्रीन
इओसीन
ऐसिटोकार्मीन

(11) ग्लास उपकरण :–
बीकर,फलास्क, बाच ग्लास,फलन, पीपेट, ब्यूरेट, टैस्ट ट्यूब, पैटरीडिस, ऐनालिटीकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस
(12) डिस्टिलेसन उपकरण
(13) मेजरिंग सिलिंडर्स 1000 एम.एल., 500 एम.एल., रेक्टेंगलर जार, स्टेजिंग जार
(14) फिजियोलॉजीकल उपकरण – गैन्नोस फोटोमीटर, ट्रास्पीरेशन, ऐसेन्ट स्केल
(15) ग्रीन हाउस
(16) विभिन्न प्रकार क चाटस

नवीन महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय आरंभ करने हेतु प्रयोगशालाओं के लिये कम से कम आवश्यकताएँ :–

(ब) प्राणी शास्त्र की प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिए)

(1) प्रयोगशाला का क्षेत्रफल 9.23X6.15 मीटर 30'20'
(2) प्रयोगशला की लैब टेबल 6
(3) लैब में टैप (पानी) फिटिंग, सिंक,नालियॉ,गैस व्यवस्था,प्रचुर मात्रा में सूर्य किरणों के लिए बडी खिडकियां तथा बिजली की व्यवस्था ।
(4) स्टोर की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के लिए स्टूल आदि की व्यवस्था

(5) रैक्स की व्यवस्था – 06 नग
स्टेनिंग जार रैक्स – 12 नग
(6) कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स – 15 नग
(7) डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स – 15 नग
डिसेक्अिंग ट्रे बडी – 40 नग
डिसेक्अिंग ट्रे छोटी – 40 नग
डिसेक्टिंगक बॉक्स – 3 नग
(8) केमिकल्स–फारमलिन,ग्लिसरीन,एल्कोहल,स्टार्च,ग्लूकोज,नोन,ऐसिटिक एसिड,ईथर
(9) बनाये हुए स्टेण्ड, काइको स्लाइड्स – 100 विभिन्न प्रकार के
(10) स्टेनस और डाइस –
बोरकेक्स कार्माइन
हामोटोक्सीलीन
एसिड फ्यूसिनन
फास्ट ग्रीन
इओसीन
ऐसिटोर्कामीन
(11) ग्लास उपकरण :– बीकर,फ्लास्क, बाच ग्लास,फलन, पीपेट, ब्यूरेट, टैस्ट ट्यूब, पैटरीडिस, ऐनालिटीकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस
(12) डिस्टिलेसन उपकरण, पार्टी डिश.
(13) मेजरिंग सिलिंडर्स 1000 एम.एल., 500 एम.एल., रेक्टेंगलर जार, स्टेजिंग
(14) फिजियोलॉजीकल उपकरण
(15) म्यूजियम–म्यूजियम प्राणी
(16) विभिन्न प्रकार के चार्टस्
(17) हीमोमीटर
(18) हीमासाइटोमीटर

नवीन महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के लिये प्रयोगशालाओं के लिये कम से कम आवश्यकताएँ :–

(स) रसायन शास्त्र के लिए प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिए)
(1) प्रयोगशाला का क्षेत्रफल 9.23X6.15 मीटर 30'20'
(2) प्रयोगशला की लैब टेबल 6 नग
लैब में टैप (पानी) फिटिंग, सिंक,नालियॉ,गैस व्यवस्था,प्रचुर मात्रा में सूर्य किरणों के लिए बड़ी खिड़कियां तथा बिजली की व्यवस्था ।
(3) स्टोर की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के लिए स्टूल आदि की व्यवस्था ।

(4) ग्लास उपकरण

(5) बीकर, फ्लास्क, वाच ग्लास, फलन,पीपेट, ब्यूरेट, टैस्ट टयूब,पैटरीडिस, ऐनालिटीकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस.

(6) डिस्टलेसन उपकरण

(7) कैमिकल बैलेन्स – 10, फिजिकल – 1 फैकसनल वेट्स

(8) कैमिकलस – निकल कार्बोनेट, कोबाल्ट क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनिया (लिकर),अमरेनियम ऑक्सलेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, पोटेशियम परमेंगनेट, पोटेशियम डायक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, कापर सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, फेरस सल्फाइड, सोडियम नाट्रोप्रूसाईड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम बायोसल्फेट, एल्यूमीनियम सल्फेट आदि ।

(द) भौतिक भास्त्र प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिए) (अधिकतम 80)

(1) प्रयोगशाला का क्षेत्र 40x50 मीटर

(2) प्रयोगशाला की लैब टेबल 04

(3) समुचित विद्युत व्यवस्था ।

(4) पानी, सिंक, इत्यादि की व्यवस्था

(5) प्रयोगशाला उपकरण निम्नलिखित प्रयोग हेतु सामाग्री ।

(ए) यंग माडुलस बाई बेन्डिग आफ बीम ।

(बी) यंग माडुलस रेगीडिटी एण्ड पोशन रेशन बाई सेलर्स एप्लाइड

(सी) टार्सन पेन्डुलम फार कोपीसियेन्ट आफ रिगीडिटी

(डी) मुमेन्ट आफ इनर्सिया बाई इनर्सिया टेबल

(ई) पोसन रेशन आफ रबर ट्यूब

(एफ) काफीसियेन्ट आफ विकोसिटी एण्ड टरमिनल वेलोसिटी बाई स्टाक्स मेथड

(जी) जी बाइ कम्पाउन्ड पन्डुलम

(एच) जी बाई केट्टर पेन्डुलम

(आई) मोमेन्ट आफ इनर्सिया आफ फ्लाई व्हील

(जे) कोफीसियेन्ट आफ रिगीडिटी आफ वायर बाई मेक्सवेल्स निडिल

(के) न्यूटन्स ला आफ कूलिंग

(एल) एच बाई डिफलेकान एण्ड वायबरेान मेगनेटोमीटर

(एम) सरफेस टेंशन बाई केपिलरी मेथड

(एन) विस्कोसिटी बाई पाईसली मेथड

(ओ) स्प्रिंग कान्सटेन्ट आफ डिफरेन्ट काम्बीनेशन आफ स्प्रिंग

(पी) एल.सी.आर. सरकीट रेसोनेन्ट कन्डीशन

(क्यू) स्टडी आफ ला आफ पैरलल एण्ड परपेन्डीकुलर एक्सीस फार मुमेन्ट आफ इनर्सिया

(आर) स्टडी आफ आक्सीलेसन्स अन्डर ए बिफिलर सस्पेंशन

(एस) स्टडी आफ केन्टीलीवर

(इ) सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान प्रायोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिये)

(1)	प्रयोगशाला का क्षेत्रफल	–	9.30 X 6.30 m
(2)	लैब टेबल		
(3)	प्रयोशाला में समुचित पानी, गैस, नाली, व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था		
(4)	भंडार गृह		
(5)	दीवाल में रैक्स	–	06
(6)	स्टेनिंग रैक्स	–	15
(7)	कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स	–	15
(8)	विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी (डिसेक्टिग माईक्रोस्कोप)	–	10
(9)	स्लाइड	–	200
(10)	पेट्री डिश	–	150
(11)	टेस्ट टयूब	–	200
(12)	बीकर्स	–	40
(13)	वाच ग्लास	–	30
(14)	फनेल	–	15
(15)	पिपेट (1मीटर–5मि.ली.)	–	10
(16)	कॉनिकल फ्लास्क	–	100

केमिकल

(1) अल्कोहल, एब्सूलट एवं रेक्टीफाइड

(2) स्टार्च

(3) ग्लूकोस

(4) एसिटिक एसिड

(5) सोडियम हाइड्राक्साइट

(6) पोटेशियम, डाइक्रोमेट

(7) गंधक अम्ल

(8) बीफ एक्सट्रेट

(9) अगर, अगर

(10) पोटेशियम आयोडाइड

(11) ग्लाइकोडीन

(12) ईथर

(13) आयोडीन

अभिरंजक – किस्टल, वायलेट, सेफेनिन, काटन ब्लू, लाईटग्रीन, इयोसिन, एसिटो.करमीन, एसिड फस्ट, आयोडीन फस्टग्रीन

उपकरण –

(1) एनालिटिकल बैलेन्स

(2) भौतिक तुला

(3) ओवन

(4) इन्क्यूबेटर

(5) लेमिनर एयर फ्लो

(6) कालोनी काउन्टर

(7) पी.एच. मीटर

(8) स्पेक्ट्रो फोटो मीटर

(9) टर्बी डिटी मीटर

(10) डिस्टीलेशन प्लान

(11) आटो क्लो

(12) सेन्ट्री फ्यूज (क्लीनिकल)

(13) सेन्ट्री फ्यूज (अल्ट्रा सेन्ट्री फ्यूज< 10000 आर.पी.एम.

(14) रेफ्रीजरेटेड सेन्ट्री फ्यूज

(15) रेफ्रीजरेटर

(16) डीप फ्रीजर (–20 सी)

(17) इक्यूपमेन्टस फार प्रेक्टीकल्स इम्यूनालॉजी

(18) माइको बायोलाजिकल इनक्यूबेटर

(19) यूबेक कालोनी काउन्टर

(फ) जैव प्रयोगिकीय प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिये)

(1) प्रयोगशाला का क्षेत्रफल – 25मी. x 9मी., 15मी x 9मी., 12मी x 9मी

(2) लैब टेबल – 08 लैब टेबल

(3) प्रयोगशाला में समुचित पानी, गैस, नाली, व्यवस्था

(4) भंडार गृह

(5) दीवाल में रैक्स – 08

(6) स्टेनिंग जार रैक्स – 15

(7) कम्पाउण्ड माइक्रोस्कोप्स – 15

(8) बाइना कुलर सल्यदर्शी – 04

(9) विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी – 02

(10) पेट्री डिश – 150

(11) टेस्ट टयूब – 200

(12) बोकर्स – 40

(13) पानी ग्लास – 30

(14) फनेल – 15

(15) पिपेट (1मीटर–मि.ली.) – 10

(16) कानिकल फ्लास्क – 100

केमिकल

(1) अल्कोहल, एब्सूलट एवं रेक्टीफाइड

(2) एसिटिक एसिड

(3) पोटेशियम, डाइक्रोमेट

(4) सोडियम हाइड्राक्साइट

(5) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

(6) गंधकअम्ल

(7) इलेक्ट्रोपोटेसियम के लिये केमीकल्स

(8) अगर, – अगर

(9) बीफ एक्सट्रेट

(10) ईथर

(11) ग्लिसरिन

(12) स्टार्च

अभिरंजक – क्रिस्टल, वायलेट, सेफेनिन, काटन ब्लू, लाईटग्रीन, इयोसिन, एसिटो.करमीन, एसिड फस्ट, आयोडीन फस्टग्रीन

उपकरण –

(1) एनालिटिकल बैलेन्स

(2) भौतिक तुला

(3) ओवन

(4) इन्क्यूबेटर

(5) आटोक्लेव

(6) लेमिनर एयर फ्लो

(7) पी.एच. मीटर

(8) स्पेक्ट्रो फोटो मीटर

(9) सेन्ट्रिफ्यूज

(10) डिस्टीलेशन यूनिट

(11) इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण

नवीन महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय आरंभ करने हेतु प्रयोगशालाओं के लिये कम से कम आवश्यकताएँ :–

(ग) सूचना प्रौद्योगिकीय की प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिये)

(1)	प्रयोगशाला का क्षेत्रफल	–	9.23 x 6.15 m (30' x 20')
(2)	कम्प्यूटर की संख्या (पी–4)	–	15
(3)	सी.पी.ओ., मानीटर, की बोर्ड, माऊस सहित।		
(4)	लेजर प्रिन्टर	–	2
(5)	स्कैनर	–	1
(6)	कम्प्यूटर टेबल	–	15
(7)	कम्प्यूटर चेयर	–	15
(8)	इंटर नेट कनेक्शन		
(9)	प्राध्यापक के लिए टेबल,कुर्सी	–	02
(10)	ब्लैक बोर्ड या वाईट बोर्ड		
(11)	ए.सी.	–	1.5
(12)	पंखा	–	02

(ह) इलेक्ट्रानिक प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिए)

(1) प्रयोगशाला का क्षेत्र 40x50 मीटर

(2) प्रयोगशाला की लैब टेबल 04

(3) समुचित विद्युत व्यवस्था ।

(4) समुचित पानी, सिंक, सहित

(5) प्रयोगशाला उपकरण निम्नलिखित प्रयोग हेतु सामग्री ।

1. सिम्पल डायोड कैरेक्टरस्टिक्स
2. जिनर डायोड कैरेक्टरस्टिक्स
3. ट्रांजिस्टर कैरेक्टरस्टिक्स
4. एनर्जी बैंड गेप
5. फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर
6. टुनल डायोड कैरेक्टरस्टिक्स
7. एस.सी.आर. कैरेक्टरस्टिक्स

8. एम्पलीटियूड माड्यूलेशन

9. फिक्कवेन्सी माड्यूलेशन

(ई) कम्प्यूटर साइंस प्रयोगशाला (30 विद्यार्थियों के लिए)

(1)	प्रयोगशाला का क्षेत्र	–	30x40 मीटर
(2)	कम्प्यूटर की संख्या	–	15
(3)	कम्प्यूटर टेबल	–	15
(4)	यू.पी.एस.	–	के.ही. 15
(5)	इन्टरनेट कनेक्शन	–	01
(6)	लेन / माउस	–	01
(7)	भंडार गृह		
(8)	प्राध्यापकों के लिए टेबल एवं कुर्सी	–	02
(9)	लेजर प्रिन्टर	–	01
(10)	डाटमेट्रिक्स प्रिन्टर	–	(136 कालम 24 पिन 01)
(11)	स्कैनर	–	01
(12)	बिजली व्यवस्था प्रत्येक कम्प्यूटर के लिए		
(13)	प्रयोगशाला में समुचित प्रकाश व्यवस्था		

(ज) भूगर्भ विज्ञान (भूगोल) की प्रयोगशाला के लिए :–

(1)	व्याख्यान कक्ष	9.23X6.15 मीटर 30'20'
(2)	प्रयोगशाला का क्षेत्रफल	9.23X6.15 मीटर 30'20'

(3). टेबल 3X10-8 टेबल

(4). ट्रे 30 नग

(5). स्टूल – 30 नग

(6). माइक्रोकोप चार (पेट्रोलाजिकल)

(7). खनिजों का सैट

(8). किस्टल माडल (वुडन)

(9.) भू–आकृतिक माडल

(10) थिन सेक्शन (ट्रे)

(क) बीसी ए तथा पी.जी.डी.सी.ए. के लिए कम्प्यूटर के निम्नलिखत सेट अपेक्षित हैं :–

1. बी.सी.ए. के लिए

(एक) हार्डडिस्क के चार से ऊपर

एक पेन्टीयम की 10 नोट्स के साथ एक मुख्य रचना बैकअप ड्राप तथा हार्डडिस्क

(दो) साफ्टवेयर के लिए अपेक्षित

(क) लेंग्वेज कंपाइलर्स

(ख) 10 टरमिनल के लिए नेटवर्किंग साफ्टवेयर

(ग) 1 यू.पी.एस.

(घ) साफ्टवेयर से संबंधित पुस्तकें

(ड.) एक प्रिंटर (डी.एम. 132 काल.)

कम से कम 10x20 क्षेत्रफल का कमरा इस सिस्टम के इन्सटालेशन के लिए पेक्षित किया जायेगा ।

2. पी.जी.डी. सी.ए. के लिए

बी.सी.ए के समान ही उपबंध लागू होगा (10 टरमिनल, 15 टरमिनल अपेक्षित किया जाएगा ।)

10. **संस्थान के स्थान संबंधी आवश्यकताएं** – धारा 10 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार स्थल संबंधी आवश्यकता शैक्षणिक अभिकरण के पास होना अनिवार्य है. तथापि यदि ऐसा संभव नहीं है तो शैक्षणिक अभिकरण, आयुक्त, उच्च शिक्षा से प्ररूप कमांक 1 में अनुरोध हेतु आवेदन कर सकता है आयुक्त, उच्च शिक्षा के द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही धारा 10 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जावेगी ।

11.. **निरीक्षण** – धारा 10 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं निरीक्षण हेतु समिति गठित की जावेगी । समिति, प्ररूप कमांक 1 एवं 2 के अनुसार अनुशंसा सहित प्रतिवेदन सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगी उपर्युक्त गठित समिति निम्नानुसार होगी :–

(1) अधिनियम की धारा 23 उपधारा (1) के अधीन आयुक्त उच्च शिक्षा एक सात सदस्यी समिति का गठन करेंगे । गठित समिति का एक सदस्य जो अतिरिक्त संचालक से निम्न स्तर का न हो आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित होगा ।

(2) एक सदस्य जो अतिरिक्त संचालक से निम्न स्तर का न हो, आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित किया जावेगा ।

(3) संबंधित कार्यक्षेत्र का उप संचालक, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा/अग्रणी महाविद्यालय का प्राचार्य हों ।

(4) संबंधित विषय का एक विषय विशेषज्ञ/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष जो आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित किया जायेगा ।

(5) एक राजस्व अधिकारी, जो नायब तहसीलदार से निम्न स्तर का न हो ।

नोटः—तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें उक्त खण्ड (4)के सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य हैं । समिति धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसार कार्य करेगी तथा समिति, धारा—12 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अलावा अन्य कृत्यों का संपादन करेगी ।

धारा 11 के अधीन अनुमति के अनुदान की सिफारिश के संबध में प्रतिवेदन धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार अशासकीय महाविद्यालय के स्थापना एवं निरीक्षण के लिए गठित समिति इस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1),(2),(3) अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा ।

12. **कतिपय प्रकरण में विशेष प्रोत्साहन** :— अधिनियम की धारा 10 (च) के अधीन उद्धृत प्रकरणों में प्राप्त आवेदनों पर धारा 11 के अनुसार गठित की गई समिति द्वारा धारा 15 के अनुसार परीक्षण किया जाकर अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

13. **सम्बद्धता** — धारा 16 एवं 17 में वर्णित प्रावधानानुसार सम्बद्धता की कार्यवाही की जावेगी अनुमति प्राप्त संस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से उस पाठ्यक्रम के लिये सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी जिसके लिये उस संस्था को अनुमति प्रदान की गई है । सम्बद्धता के लिये सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियम बाध्यकारी होंगे ।

14. **अनुमति प्राप्त संस्थाओं के स्थान परिवर्तन और स्थानांतर पर निर्बन्धन** — धारा 18 के अनुसार कार्यवाही निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन की अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी ।

15. **अनुमति का प्रत्याहरण** — धारा 19 के प्रावधानानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधर पर किया जा सकेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

प्ररूप क0 (एक)
(नियम 5 के लिए)
पूर्व स्थापित अशासकीय, संस्थाओं/महाविद्यालयों का निरिक्षण

1. संस्था का नाम :
2. संस्था का स्थापना वर्ष :
3. संस्था के प्राचार्य/अधिकृत अधिकारी
   नाम व पता
4. संस्था के प्रविष्ट छात्र/छात्राओं की संख्या व उनके परीक्षा परिणाम (पिछले तीन वर्ष का)

संकाय/पाठयकम	प्रविष्ट छात्र	परिणाम उत्तीर्ण			
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	उत्तीर्ण

5. संस्था की भूमि/ एवं भवन का स्वामित्व
6. कुल भूमि/ एवं कक्ष का आकार
7. शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी

नाम	पद–विषय	योग्यता	वेतनमान	वेतन

8. गैर शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी

नाम	पद–विषय	योग्यता	वेतनमान	वेतन

9. (क) क्या संस्था की दशा समग्रतः (भवन, वित्त शैक्षिक संचालन तथा स्तर) प्रचलित विधान के अनुरूप जारी रखने योग्य है?
   (ख) यदि नहीं तो कमिया तथा अभाव जिन्हें संसूचित किया जाना है ?

10. संस्था की शुरूआत के बाद से उसका विस्तार (भवन, उपकरण पुस्तकालय, फर्नीचर आदि) व वर्षवार उल्लेखनीय प्रगति शैक्षिक अभिलेखों का रख रखाव ठीक प्रकार से हैं या नहीं?

11. संस्था के आय व्यय की सीमा व अंकेक्षित लेखे, प्रशासनिक और शैक्षिक अभिलेखों का रख रखाव ठीक प्रकार से है या नही?

12. क्या संस्था शासन के अनुदेशों एवं निर्देशों का परिपालन कर रही है तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में भेजे जा रहे हैं ?

13 .क्या संस्था नए विधान के परिपालन तथा शर्तो की प्रति पूर्ति में सक्षम है क्या एतद् विषयक घोषणा उसने की है? एतद् विषयक योजना का प्रारूप, संसाधन, कियान्वयन का चरणबद्ध प्रारूप तैयार है?

14. क्या संस्था को प्राप्त अनुदानों (राज्य शासन/यूजीसी/अन्यदान) का वर्षवार विवरण तथा आय व्यय का लेखा संधारित है तथा उसका विवरण भेजा गया है ?

15. क्या लेखानुरूप भंडार पंजी रखी गई है तथा तदनुसार भंडार उपलब्ध है ?

16. क्या व्यय/क्रय में शासकीय नियमों का पालन किया गया है ?

17. क्या वित्तीय अनियमितता का कोई प्रकरण लंबित है?

18. क्या छात्रवृत्तियों की प्राप्ति तथा वितरण का लेखा है?

19. क्या नियुक्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों के प्राप्त वेतन व भत्तों का विवरण संतोषप्रद है?

20. संस्था के कार्यकलाप के विषय में संस्था के द्वारा शिक्षकों से जानकारी ली गयी है?

21. संस्था की भूमि यदि शासकीय रियायती दर पर प्रदत्त है तो उसके भूमि –भवनों का नक्शा प्राप्त कर अवलोकन किया जाये ।

(क) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि उसका उपयोग पूर्णतः उन उद्देश्य के लिए है जिनके लिए वह प्रदत्त है ?

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया है कि –

(एक) भवनों का उपयोग व्यावसायिक आय के लिये तो नही किया जा रहा है?

(दो) यदि किया जा रहा है तो उसकी जानकारी शासन को दी जाकर तद्विषयक अनुमति ली गई है?

(ग) ऐसा व्यावसायिक उपयोग संस्था –

– किस रूप में कर रही है?
– किन शर्तो पर कर रही है?
– उसके हितग्राही कौन है?
– कितने वर्ष से उपयोग हो रहा है?
तथा आय व्यय का लेखा रखा गया है या नहीं?
– क्या ऐसी आय शैक्षिक संस्था की लेखा पंजियों में दर्ज की गई है?

22. क्या संस्था को उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् द्वारा निरूपित उत्कृष्ट उच्चतर शिक्षण संस्थान की अवधारणाओं की जानकारी है ?(राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद)

(क) यदि हॉ तो अब तक किये गये प्रयासों और परिणामों की जानकारी दें ।

(ख) यदि नही तो संस्था इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर कितनी अवधि में मुल्यांकन तथा प्रत्यायन करने में सहमत है?

----000-----

धारा 6 के अनुसार
निरीक्षण समिति के लिये परीक्षण अभिलेखों की सूची

क. सं. अभिलेख का नाम

1. प्रवेश एवं निकास पंजी
2. छात्र उपस्थिति पंजी
3. पूर्व महाविद्यालय इतिहास एवं नये प्रवेश संबंधी पंजी
4. सत्र शुल्क पंजी
5. समय सारिणी
6. प्रविष्ट परीक्षार्थी एवं उत्तीर्ण छात्रों वाली पंजी (कक्षा एवं वर्ग सहित)
7. उपस्थिति पंजी
   (क) शिक्षक
   (ख) शैक्षिकेत्तर स्टाफ
8. वेतन देयक एवं भुगतान पंजी
9. विन्यास एवं विन्यास से आय संबंधी विवरण
10. चंदा व दान से आय संबंधी विवरण
11. विविध प्राप्तियों का विवरण
12. शैक्षिक एवं शैक्षिकोत्तर स्टाफ के वेतनमान का विवरण
13. शैक्षिक स्टाफ का विवरण (योग्यता परीक्षा फल सहित, जन्मतिथि इत्यादि)
14. शैक्षिकोत्तर स्टाफ का विवरण
15. छात्रवृत्ति का विवरण
16. शिक्षक के प्राविडेन्ट फन्ड का विवरण
17. संबंधन संबंधी जानकारी
18. विभिन्न विषयों (कक्षावार) में कार्यभार का विवरण
    (क्रीडा अधिकारी एवं ग्रंथपाल के लिये वार्षिक कार्य विवरण)
19. अनुदान विवरण /प्राधिकृत अधिकारी का विवरण
20. स्टॉक पंजी (पुस्तकें,फर्नीचर व उपकरण)
21. कैश पंजी एवं इसकी सहायक पंजी
22. उच्च शिक्षा छ0ग0 शासन के शुल्क रियायत संबंधी पंजी
23. निर्धारित प्रोफार्मा वाली पुस्तक (स्थानान्तरण प्रमाणपत्र)
24. आकस्मिक अवकाश पंजी
25. आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाश वाली पंजी
26. सेवा पुस्तिका
27. अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) पुस्तिका
28. चयन समिति का कार्यवृत्त

प्ररूप क0 दो
निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

नये संकाय / पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने बाबत् ।

1. संस्था का नाम :
2. संस्था का स्थापना वर्ष :
3. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम :
4. संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि / प्रचार्य का नाम व पता :
5. संस्था की कुल भूमि :
6. संस्था के भवन की जानकारी :
7. शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी :

नाम	पद / विषय	योग्यता	नियुक्ति दिनांक	वेतनमान	वेतन	तदर्थ / नियमित

8. गैर शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी

नाम	पद / विषय	योग्यता	नियुक्ति दिनांक	वेतनमान	वेतन	तदर्थ / नियमित

9. संस्था के विगत तीन वर्षो के छात्रों की जानकारी

संकाय / विषय	प्रवेशित छात्र	उत्तीर्ण			उत्तीर्ण प्रतिशत
		प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	

10. विगत तीन वर्ष की आय :
11. विगत तीन वर्ष का व्यय

आवर्ती	अनावर्ती

12. अन्य उपलब्ध सुविधायें
    (क) कामन रूम
    (ख) वाचनालय / ग्रंथालय
    पाठ्यपुस्तक संदर्भग्रंथ साहित्य अन्य
    पत्रिकायें साप्ताहिक पाक्षिक मासिक वार्षिक
    (ग) कम्प्यूटर सुविधा
    (ड) खेलकूद
    (च) फर्नीचर
    (छ) दृश्य–ग्रंथ उपकरणों / माध्यमों की उपलब्धता

13. प्रारंभ किये जाने वाले संकाय / विषय / पाठ्यक्रम का नाम
14. विषय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव का औचित्य
15. प्रस्तावित छात्र संख्या

16. विषय के अध्यापन का माध्यम
17. 20 कि0मी0 परिधि में उपर्युक्त पाठ्यक्रम की स्थिति (स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर)
18. विषय प्रारंभ होने की स्थिति में अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था

	वर्तमान स्थिति	पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की स्थिति में	कुल (प्रतिवर्ष)
(क) शैक्षणिक स्टाफ (ख) अशैक्षणिक स्टाफ (ग) कमरे (घ) पुस्तकें (ड) फर्नीचर (च) उपकरण (छ) पत्र पत्रिकायें (ज) वित्तीय संसाधन			
			योग

19. निरीक्षण अधिकारी की निम्नलिखत बिन्दुओं पर स्पष्ट टीप

(क) उपलब्ध शैक्षणिक स्टाफ द्वारा नये पाठ्यक्रम :
को संचालित करने की क्षमता

(ख) क्या नये पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त छात्र :
उपलब्ध हो जाएगा?

(ग) क्या नये पाठ्यक्रम हेतु भूमि–भवन, फर्नीचर व उपकरण की पर्याप्त व्यवस्था है यदि नहीं तो कब तक इसकी पूर्ति संस्था की ओर से आश्वसित की गई है ?

(घ) क्या संस्था नये पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था कर सकेगी?

(ड.) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुशंसा ।

20. अधिनियम की धारा 2006 के अधीन उपरोक्त कंडिकाओं के परीक्षणोपरान्त निरीक्षण समिति .... प्रारंभ करने / नहीं करने की अनुशंसा करती है ।
निरीक्षण समिति संयोजक / सदस्यों के नाम, हस्ताक्षर व पता

1. संयोजक –
2. सदस्य –

दिनांक ....
स्थान.......................

मिलान सूची

अ. समिति से संबधित दस्तावेज :

(1) समिति के पंजीकरण अभिलेख की प्रति

(2) पंजीकृत समिति के सदस्यों की सूची

(3) पंजीकृत समिति के नियम

(4) समिति द्वारा संचालित संस्थानों के आय व्यय का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण ।

(5) महाविद्यालय स्थापना के संकल्प की प्रति । (शपथ पत्र)

ब. (1) प्रस्तावित स्थान व उसके तहसील एवं ज़िले में ।

(2) भूमि की उपलब्धता संबंधि दस्तावेज/अनुबंध का पट्टा

(3) निर्मित भवन का आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित अथवा भवन का किरायानामा पट्टा/विद्यमान अन्य संस्था का भूमि-भवनादि संबंधी सहमति पत्र ।

(4) निर्मित भवन तथा परिसर का फोटोग्राफ दो नग ।

(5) पुस्तक-पत्रिकाओं, फर्नीचर, उपकरण व सामग्री की सूची ।

(6) प्रयोगशाला, फर्नीचर, उपकरण व सामग्री की सूची

(7) संस्था हेतु उपलब्ध निधियों का प्रमाणिक विवरण

(8) संस्था हेतु संभावित व्ययों का (तीन वर्ष) विवरण ।

(9) जमा किये शुल्क/निधियों (आवेदन प्रपत्र, संकाय/पाठ्यक्रम अनुमति शुल्क, कायिक निधि, प्रक्रिया एवं निरीक्षण शुल्क) संबंधी चालान/ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 दस्तावेज

(10) स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

प्ररूप क्रमांक तीन
धारा 7 के अनुसार

नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन

1. पंजीकृत समिति का नाम (तीन प्रतियों में):– ------------------
   (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
2. उच्च शिक्षा हेतु प्रंस्तावित महाविद्यालय/संस्थानः ------------------
   का नाम
   स्थिति (पता) ------------------

   दूरभाष नं ....फैक्स नं ....
3. पंजीकृत समिति के सदस्यों की सूची :– ------------------
   (नाम, पद, पता एवं व्यवसाय)
4. पंजीकृत समिति के नियम :– ------------------
5. (क) समिति द्वारा यदि अन्य संस्थान संचालित थे या :------------------
   कार्यरत है तो नाम और विवरण ------------------
   (ख) समिति तथा उसके सहयोगी सदस्यों/संस्थानों :------------------
   द्वारा किये गये कार्यो/गतिविधियों का अब तक का विवरण
   (आय–व्यय के प्रमाणित विवरण सहित)
6. (क) समिति द्वारा महाविद्यालय/संस्थान स्थापित :------------------
   करने के संकल्प की प्रति
   (ख) संस्था आरंभ करने का उद्देश्य और उसके लक्ष्य :------------------
7. स्थान जहां महाविद्यालय/संस्थान स्थापित किया जाना है :–
   (1) स्थान :– ------------------
   (2) तहसील :– ------------------
   (3) जिला :– ------------------
   (4) विकासखण्ड :– ------------------
   (5) नगरनिगम क्षेत्र :– ------------------
   (6) नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र :– ------------------
   (7) ग्रामीण क्षेत्र :------------------
   (8) विधान सभा क्षेत्र (नाम एवं क्रमांक) :– ------------------
   (9) लोक सभा क्षेत्र (नाम एवं क्रमांक) :------------------
   (10) शहर /गांव की जनसंख्या जहां संस्था:------------------
   स्थापित की जानी है

8. प्रस्तावित संस्थान/महाविद्यालय के क्षेत्र की श्रेणी :– उपर्युक्त को चिन्हित करें तथा औचित्य प्रस्तुत करें

(1) सुविधाहीन विकासखंड :–

(2) दूरस्थ सुविधाहीन क्षेत्र

(3) सुविधाहीन अन्तरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र

(4) सुविधाहीन आदिवासी क्षेत्र

(5) सुविधाहीन शहरी क्षेत्र

(6) सुविधाहीन स्त्री–शिक्षा क्षेत्र

9. शिक्षा संस्था की कार्य प्रकृति :– उपयुक्त को चिन्हित करें तथा औचित्य प्रस्तुत करें

(क) सहशिक्षा

(ख) महिला संस्थान

(ग) दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में शासन सह जनसहयोग से प्रस्तावित आवासीय संस्था:–

10. शिक्षा का माध्यम :– उपयुक्त को चिन्हित करें तथा औचित्य प्रस्तुत करें

(क) हिन्दी

(ख) अंग्रेजी

11. प्रस्तावित कस्बों/नगर में स्थित उच्चतर शालाएं
(प्राचार्य अथवा शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

अनुक्रमांक	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या

12. जिला तथा तहसील एवं गांव में अन्य महाविद्यालयों की स्थिति,

अ.क्र.	महाविद्यालय का नाम तथा स्तर (यू.जी/पी.जी.)	प्रस्तावित महाविद्यालय से दूरी	पढ़ाये जाने वाले कुल संख्या विषयों/संकायों छात्र

13. प्रस्तावित महाविद्यालयों में आरंभ किये जाने वाले विषय /संकाय :–

स.क्र.	संकाय का नाम	विषय	प्रस्तावित प्रवेश संख्या	स्तर

14. राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा संस्थान के विकास की चरणबद्ध योजना रूपरेखा तथा संसाधन :– संलग्न करें ।

क्रियान्वय का प्रारूप संलग्न करें तथा अगले तीन सूत्रों के लिए सत्रानुसार योजना की प्राथमिकता

15. महाविद्यालय आरंभ करने हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक सत्र :– ....

16. भवन :-

(1) क्या संस्था के पास स्वयं की भूमि महाविद्यालय के लिए उपलब्ध है ? (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
हां या नहीं : यदि है तो कुल क्षेत्रफल .... निर्मित क्षेत्रफल

(2) यदि हां तो इस भूमि पर महाविद्यालय हेतु भवन का निर्माण कब तक कर लिया जायेगा? (योजना,प्रोजेक्ट,प्राक्कलन तथा नक्शा संलग्न करें)

(3) संस्था के पास स्वयं का भवन उपलब्ध है?

(4) यदि नहीं तो भवन कब तक तैयार हो जायेगा?

(5) किराये/पट्टे पर अधिकृत के भवन की स्थिति में किरायानामा/पट्टा संलग्न करें ।

(6) जिस भवन में महाविद्यालय स्थापित किया जाना (स्वय का अथवा किराये का) आर्किटेक्ट द्वारा अभिप्रमाणित नक्शा संलग्न करें ।

(7) (क) विद्यमान में कार्यरत किसी संस्था में प्रस्तावित (अनुमति/सहमति पत्र सहित उपलब्ध भूमि, भवन, तथा अन्य व्यवस्थाओं की उपलब्धता का प्रमाणित नियम)
(ख) भवन एवं परिसर की पूर्ण कालिक या अंश कालिक उपलब्धताहै यदि अंश कालिक है तो

(8) निर्मित/भवन/भवनों तथा परिसर का फोटोग्राफ\आकार में दो प्रतियों में संलग्न करें.

(9) टीप :– आवेदन के साथ प्रस्तुत/भवन योजना में कक्षों का विवरण निम्नांकित प्रारुप में संलग्न करें –

क्र.	भवन क्र.	कक्ष क्र.	आकार (लंxचौ. मी. में)	कुल क्षेत्रफल (मी. मे)	उपयोग का प्रयोजन	टीप
					कुल योग	

17. महाविद्यालय में खेल संबंधी व्यवस्था की पूर्ण जानकारी निम्नानुसार संलग्न करें
 (1) मैदान का आकार
 (2) कौन–कौन से खेलों की सुविधाएं
 (3) क्रीडा/खेल कक्ष मैदान के पास है अथवा नही?
 (4) व्यायाम शाला/योग कक्ष की व्यवस्था
 (5) सभागृह (बैठक क्षमता सहित)

18. अन्य उपलब्ध सुविधाएं तथा उस हेतु प्रस्तावित प्रावधान :–
 (प्रत्येक की सूची का विवरण प्रस्तुत करें ।)
 (अ) पुस्तकालय (विषयवार पुस्तकें एवं नियत कालिक पत्रिकाएं) एवं वाचनालय पाठ्य, संदर्भ, साहित्य, ज्ञान–विज्ञान, अन्य विविध
 (ब) प्रयोगशलाएं तथा वर्कशाप (उपकरण एवं फिटिंग्ज)
 (स) पानी का स्त्रोत एवं उपलब्ध मात्रा
 (द) संस्था की भूमि से जुड़ी हुई अन्य कोई भूमि या मैदान जो संस्था की मिल्कियत मे हो अथवा उसे उन्यथा उपलब्ध हो ।
 (इ) प्रसाधन कक्षों (टायलेट,वाशरूम आदि) की महिला/पूरूष/छात्र–छात्रा /स्टाफ हेतु व्यवस्था

19. (क) महाविद्यालय आरंभ करते समय प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की जानकारी प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें ।

पाठ्यक्रम	कार्यभार	प्रस्तावित पद	अर्हता	वेतनमान	नियुक्ति की शर्ते

(ख) क्या संस्था शासन के बिना किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की अपेक्षा किए प्रस्तावित संकाय/विषय/पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सहमत एवं सक्षम है? हां/नहीं

20. उपलब्ध कक्षों का विवरण :—

अध्यापन कक्ष, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, स्टाफ रूम, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्रंथालय, प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर लैब, एन.सी.सी. कक्ष, एन.एस.एस. कक्ष, छात्रावास, केन्टीन, स्टाफ क्वार्टर, प्रसाधन युक्त कामन रूम,

श्रेणी प्रयोजन	धारक क्षमता	कमरों की संख्या	आकार (मीटर में) (लम्बाईXचौडाई)	संबंधित कक्षों में उपलब्ध फर्नीचर					
				डेस्क	कुर्सी	टेबल	आलमारी	रैक	अन्य

21. प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरण तथा सामग्री :—
प्रत्येक विषय हेतु सूची प्रस्तुत करें ।

22. निधियां तथा संस्था को चलाने हेतु बजट :—
(1) वर्तमान में संस्था के पास उपलब्ध निधियां
(2) उपलब्ध एनडाउमेन्ट तथा अचल संपत्ति
(3) अगले तीन वर्षो तक की संभावित आय
(4) दान
(5) शुल्क
(6) अन्य (विस्तृत उल्लेख)

प्रथम तीन वर्षो (प्रत्येक वर्ष के लिये)के लिए/संभावित व्यय का आवश्यक विस्तृत विवरण सहित
(क) वेतन एवं भत्ते
(ख) आवर्ती आकस्मिक निधि (राशि)
(ग) अनावर्ती आकस्मिक निधि (राशि)

प्रत्येक की पूर्ण जानकारी दें ।

23. जमा किए शुल्क/निधियों का विवरण (चालान/बैंक ड्राफ्ट नंबर दर्शायें)
(क) आवेदन प्रपत्र का मूल्य : रु0 5000.00
(ख) निम्नानुसार संकायवार/पाठ्यक्रम–समूहवार अनुमति शुल्क

स.क्र.	संकाय	समूह	शुल्क
1.	बी.ए. या बी.कॉम.	(एक समूह)	3.00 लाख
2.	बी.ए. और बी.कॉम	(प्रत्येक में एक समूह)	4.00 लाख
3.	बी.एस.सी	(एक समूह)	5.00 लाख
4.	बी.ए. या बी.कॉम. तथा बी.एस.सी.	(प्रत्येक में एक समूह)	6.00 लाख
5.	बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम.	(प्रत्येक में एक समूह)	7.00 लाख

(ग) निकाय निधि :-

(1) स्नातक महाविद्यालय (छात्रों / सहशिक्षा संस्थान) :– 10.00 लाख रू.

(2) स्नातक महाविद्यालय (केवल महिला संस्थान अथवा केवल आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए) :– 5.00 लाख रू.

(घ) प्रक्रिया एवं निरीक्षण शुल्क :– 30,000 **लाख रु.**

24. संबंधित पंचायत / नगरपालिका / नगरनिगम द्वारा संस्था आरंभ करने हेतु :– क्या सहमति ली गई है?(प्रमाण पत्र संलग्न करें) हां / नही

प्रमाण पत्र

....संस्था / समिति की ओर से मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त कंडिका – 1 लगायत 24 में दर्शित सभी विवरण सही है। समिति ने संस्था के संचालन की शासन द्वारा निर्धारित शर्ते पूरी करती है। छत्तीसगढ़ शासन अशासकीय महाविद्यालय और संस्थान (स्थापना एवं विनियम) अधिनियम के प्रावधानों का पालन समिति करेगी तथा उसे वे सभी शर्ते मान्य होगी जो अधिनियम के अनुपालनार्थ उच्च शिक्षा छत्तीसगढ शासन द्वारा अनुमति की दशा में जारी की जाएगी।

स्थान : – .... आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

दिनाँक : – .... (समिति के सचिव / अधिकृत प्रतिनिधि / प्रबधक का नाम, हस्ताक्षर पूरा पता सहित

आवेदन के लिए निर्देश : –

1. आवेदन पत्र सुवाच्य, स्पष्ट तथा पूरी तरह भरा गया हो।
2. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. जानकारी देने के लिए यदि आवेदन – पत्र में स्थान अपर्याप्त हो तो सहपत्रों में अंकित कर जानकारी संलग्न करें।
4. आवेदन पत्र में सहपत्रों पर संस्था के सचिव / अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित करना आवश्यक है।

प्ररूप क्रमांक चार
(देखिए नियम – 10)

संस्था का भूमि–भवन नहीं होने पर आयुक्त उच्च शिक्षा से छूट के लिए प्रार्थना हेतु पत्र प्रारूप

....

1.	संस्था का नाम व पता	:	
2.	संस्था के प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पता	:	
3.	संस्था के स्थापना का उद्देश्य	:	
4.	स्थापना हेतु आवेदन की तिथि स्थापना वर्ष	:	
5.	संस्था के स्वय की भूमि का रकब	:	
6.	संस्था के उपलब्ध भवन का आकार (कक्ष और परिसर का विवरण संलग्न करें)	:	
7.	भवन किराये का है तो किराये की राशि किसी संस्था द्वारा प्रदान किया किया गया तो कब तक के लिए।	:	
8.	स्वय का भवन पूर्ण होने की तिथि	:	
9.	स्वय के भवन का आकार (कक्ष और परिसर का नक्शा व आंकलन संलग्न करें)	:	
10.	नियमानुसार नगर पालिका / नगर निगम निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्ति की तिथि	:	
11.	भूमि–भवन के रकबे में विस्तार की कोई योजना हो तो स्पष्ट करें	:	
12.	वर्तमान भूमि–भवन उपयोग के लिये पर्याप्त है	:	हाँ / नहीं
13.	स्वय का भवन / भूमि होने हेतु राशि किन स्त्रोत से उपार्जित की जावेगी (विवरण संलग्न करें)	:	

शपथ-पत्र

मै यह वचन देता हूँ कि संस्था की स्वय की भूमि भवन स्थापना के पाँच वर्ष के अन्दर पूर्ण हो जायेगा वर्तमांन भूमि भवन हेतु नियमानुसार किराया / स्थानीय संस्था से शपथ पत्र प्राप्त कर संस्था की स्थापना हेतु कार्यवाही की जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी का
हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता सहित

प्ररूप क्रमांक पाँच

संस्थाओं द्वारा प्रेषित वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप

वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल................से 31 मार्च ....तक)

1. संस्था का नाम व पता :
2. स्थापना वर्ष :
3. संस्था के प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पता :
4. स्थापना की शर्तें :
5. शर्तों की आपूर्ति किये जाने का विवरण
6. वर्ष में नवनिर्माण-विकास का विवरण :
7. छात्रों की जानकारी :

अनु.जाति	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	कुल

8. शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी

नाम	पद / विषय	योग्यता	नियुक्ति दिनांक	वेतनमान	वेतन	नियमित / तदर्थ

9. अशैक्षणिक स्टाफ की जानकारी

नाम	पद / विषय	योग्यता	नियुक्ति दिनांक	वेतनमान	वेतन	नियमित / तदर्थ

10. नियमानुसार अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया गया
11.. वर्ष में प्राप्त अनुदान
12. प्राप्त अनुदान का उपयोग व लेखा भेजने की तिथि
13. संस्था को विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली आय
14. वर्ष में प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण
15. संस्था की अन्य गतिविधियों
    (क) खेलकूद
    (ख) एन.सी.सी. / एन.एस.एस.
    (ग) साहित्य व संस्कृति
    (घ) अन्य

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी संस्था के विभिन्न लेखों में दर्ज है व सही है।

प्राचार्य अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता सहित

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

सहपत्रों सहित आवेदन प्रपत्र का परीक्षण किया गया । संस्थान की पात्रता स्वीकृति हेतु आवेदन वास्तविक है । अतः नियमानुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत दर्शित राशि का आबंटन प्रस्तावित किया जाता है ।

अनु0 क0	मद का नाम	राशि
1		
2		
3		
4		

या

आवेदन निम्नलिखित कारणों से त्रुटि/अधूरा होने के कारण निरस्त किया जाता है।

1
2
3
4

प्रभारी लिपिक

प्रभारी अधिकारी
(उप/संयुक्त संचालन)
अतिरिक्त संचालन
वित्तीय प्राधिकारी

तदर्थ अनुदान हेतु आवेदन
(31 अक्टूबर तक मान्य)

1 संस्था का नाम

2 स्थापना वर्ष

3 पंजीकरण / नवीनीकरण

4 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता का प्रमाण पत्र

5 महाविद्यालय में कुल छात्र / छात्राओं की संख्या

6 प्राचार्य का नाम

दूरभाष क0 कार्यालय निवास

7 पता ब्लाक

स्थान जिला

तहसील

8 महाविद्यालय की स्थिति

(अ) शहरी / ग्रामीण

(ब) क्या महाविद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है ?

हॉं / नहीं

(स) क्या महाविद्यालय केवल छात्राओं की शिक्षा के लिये है ?

हॉं / नहीं

(द) क्या महाविद्यालयीन परिनियम 28 के अनुसार शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है ?

(इ) क्या शैक्षणिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया है ?

हॉं / नही

(ई) क्या शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन पर्ची दी गई है ?

सत्र		प्रवेशित विद्यार्थी	विवि की परीक्षा में सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण विद्यार्थी
	कला, विज्ञान, वाणिज्य			
	कला, विज्ञान, वाणिज्य			
	कला, विज्ञान, वाणिज्य			

अनुदान का उद्देश्य (धारा–61)

क0	मदों का विवरण	राशि	योजना एवं अनुमानित राशि
1			
2			
3			
4			
5			
6			

कुल राशि (अंको में) ....(शब्दों में)..

9. पूर्व में स्वीकृत अनुदान का विवरण

(1) आदेश की तिथि

(2) मद ....स्वीकृत राशि ....

व्यय की गई राशि ....

(3) लेखा एवं अंकेक्षण से संबंधित विवरण

(4) पूर्व वर्ष दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्राचार्य

प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

संस्थापना–समिति

निरीक्षण दिनांक....................

1. संस्थापना एवं संचालन समिति का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता तथा दूरभाष नं ....

....

2. संस्थापना एवं संचालन समिति के अध्यक्ष का नाम और पता

....

3. समिति के पदाधिकारियों के नाम, पद एवं व्यवसाय की जानकारी

....

....

4. समिति के पंजीकरण की तिथि तथा पंजीकरण अभिलेख की प्रति

....

5. संचालन समिति की चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण ....

6. (क) समिति द्वारा संचालित अन्य संस्थानों का विवरण

(ख) संचालित अन्य संस्थानों का विगत 3 वर्षो का अंकेक्षित आय–व्यय लेखा

(ग) समिति की अन्य गतिविधियॉ

प्रस्तावित शिक्षण संस्था

1. (क) प्रस्तावित शिक्षण संस्था/महाविद्यालय का नाम, स्थिति एवं पता (फोन नं. सहित)

(ख) शिक्षण संस्था का उद्देश्य और लक्ष्य

(ग) उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध विकास/विस्तार योजना की रुपरेखा और साधन

2. स्थापना का प्रस्तावित सत्र

3. संबंधित परिक्षेत्र का विश्वविद्यालय

4. प्रस्तावित संकाय, कक्षाओं, विषयों का विवरण

5. प्रस्तावित प्रवेश संख्या संकायवार, कक्षावार, विषयवार,समूहवार.

(अ) शैक्षणिक संस्था के पास भूमि तथा भवन की उपलब्धता

अधोसंरचना

) उपलब्ध कुल भूमि (दस्तावेज से प्रमाणित) :–

(1) भूमि	(2) भूमि है तो रकबा	(3) अर्जन का स्त्रोत	(4) क्या मापदण्ड के अनुसार भूमि है
है / नही है	....	स्वतः के नाम / पट्टे पर / किराये पर	है / नहीं है / अभिमत

ो) भूमि पर निर्मित भवन (निर्मित कुल क्षेत्रफल दर्शाए) :–

(1)	(2)	(3)	(4)
8000 वर्ग फुट से न्यून	8000 वर्ग फुट से अधिक	टीप	नियमानुसार मान्य / अमान्य

(तीन) निर्मित भवनों से बची खुली भूमि :–

(1)	(2)	(3)
विकसित / अविकसित	क्रीड़ांगन के योग्य / अयोग्य	टीप

(चार) निर्मित एवं उपलब्ध भवन कक्षों की तालिका :-(श्रेणीवार क्षेत्रफल–आकार)

टीप : कक्ष कमांक प्राचार्य कक्ष को कमांक 1 देते हुए कमशः आगे अंकित करें।

प्रत्येक की संख्या एवं आकार

(1) प्राचार्य कक्ष ....

(2) कार्यालय कक्ष ....

(3) शैक्षिक कक्ष ....

(4) प्रयोगशाला कक्ष ....

(5) शिक्षक कक्ष ....

(6) छात्र कक्ष ....

(7) ग्रन्थालय कक्ष ....

(8) वाचनालनय कक्ष ....

(9) सभा कक्ष ....

(10) कैन्टिन ....

(11) प्रसाधन कक्ष (पुरुष) ....

(12) प्रसाधन कक्ष (महिला) ....

कीडा तथा कीडांगन

1. क्या विभिन्न खेलों के लिए विधिवत कीडांगन निर्मित है — है / नही है

2. यदि हां तो किन–किन खेलों — इनडोर (उल्लेखित खेल) ____________
   क्षेत्रफल ____________
   आउटडोर (उल्लेखित खेल) ____________
   क्षेत्रफल ____________
   तथ्य / प्रमाणित / अप्रमाणित ____________

3. विभिन्न खेलों के लिए खेल सामग्रियों / उपकरणों की व्यवस्था
   तथ्य / प्रमाणित / अप्रमाणित

   (i) है / नहीं है
   (ii) है तो खेल तथा विवरण
   (1)
   (2)
   (3)
   (4)

(ब) शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु मानवसंसाधन

(एक) (श्रेणीवार दशाएँ : प्राचार्य / शैक्षिक / गैरशैक्षिक (ग्रंथपाल,कीडाधिकारी) (कार्यालयीन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पद	पदस्थ का नाम	शैक्षिक योग्यताएं	अनुभव	नियुक्ति की प्रकिया कोड28 से अन्यथा	अस्थायी / स्थायी / संविदा पर

(7)	(8)	(9)		(10)
नियुक्ति आदेश सुरक्षा दिनांक का	कार्यारंभ दिनांक	वेतन और वेतनमान		कर्मचारी सेवा तथा भविष्य निधि प्रावधान
		प्रदत्त	प्रस्तावित	

(दो) समिति की टीप:

स.क्र.	पद श्रेणी	वांछित पद	प्रावधानित पद	नियुक्ति पद	टीप: अनुकूल / न्यून / अनुशंसा
(1)	प्राचार्य				
(2)	शिक्षक				
(3)	कार्यालयीन लिपिक				
(4)	प्रयोगशाला सहायक				
(5)	कार्यालयीन अनुचर				
(6)	प्रयोगशाला अनुचर				
(7)	पुस्तकालय अनुचर				
(8)	कीडा–अधिकारी				
(9)	ग्रन्थपाल				

(स) शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु फर्नीचर एवं उपकरण

क) फर्नीचर (प्रत्येक श्रेणी मे कक्षावार उपलब्ध संख्या दर्शाएँ)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कक्ष क्रमांक	प्रावधित उपयोग (जैसे प्राचार्य कक्ष / कार्यालय / शिक्षण कक्ष / प्रयोगशालाएं / पुस्तकालय / वाचनालय / छात्रा कक्ष आदि)	कार्यालय टेबिल	प्रयोगशाला / वाचनालय टेबिल	कार्यालय कुर्सियां	छात्र डेस्क कुर्सी
7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
टूल	रैक्स	आलमारियां	कक्ष मे विद्युत व्यवस्था	कक्ष मे पंखों की व्यवस्था	अन्य आवश्यक व्यवस्था

करण

5) कार्यालयीन टेलीफोन न0 ☐ टायपिंग मशीन ☐ कम्प्युटर ☐ फैक्स ☐

) प्रयोगशाला सामग्री कक्षा विषय निर्धारित सूची के अनुसार निर्धारित छात्र / छात्रा संख्या के अनुरुप है / नही है / न्यून तथा टीप

(ग) शैक्षणिक शैक्षणिक कक्षाओ मे ब्लेकबोर्ड की व्यवस्था पर्याप्त/अपर्याप्त

दृश्य–श्रव्य उपकरण

कक्षा ☐	टीवी ☐	प्रोजेक्टर ☐	डी.वी.डी. ☐	शैक्षिक कैसेट डिस्क ☐
है/नही है	है/नही है	है/नही है	है/नही है	है/नही है

(घ) जलआपूर्ति एवं पेयजल — ट्यूबवेल है/नही है — जलपूर्ति प्रणाली उपलब्ध है/नही है — वाटर कुलर है/नही है

☐ ☐ ☐ ☐

संस्था में अन्य सामग्री का विवरण : उपलब्ध हाँ/नहीं

ग्रन्थालय में पुस्तकों की उपलब्धता

(क) पाठयकमीय ग्रंथ

कमांक	प्रस्तावित संकाय	संकाय अवधारित कक्षायें	प्रस्तावित विषय (प्रश्नपत्रवार)	प्रस्तावित विद्यार्थियों की संख्या पाठय संदर्भ पुस्तके	उपलब्ध पुस्तकों की नाम लेखक मूल्य हेतु संख्या (सूची पृथक से संलग्न करें		
					पाठय	संदर्भ	सूची तथा चालान में दर्शायी राशि

(ख) सभी के लिए विविध उपयोगिता के कोषग्रन्थ, मूल्यवान श्रेष्ठ पाठ्यग्रन्थ साहित्य — कुल संख्या एवं मूल्य

____

____

(ग) ज्ञान, विज्ञान के अन्य ग्रन्थ — संख्या मूल्य

____

(घ) वाचनालय हेतु उपलब्ध /प्रस्तावित पत्र–पत्रिका

गहन अध्ययन, शोधमूलक तथा विशिष्ट मूलकता से संबंधित		सामान्य अभिरुचि मूलक
संख्या	मूल्य	

(द) समिति / शैक्षिक–संथा के नाम प्रावधानित चल संपत्ति, वित्त एवं लेखा

(क) समिति द्वारा संचालित अन्य संस्थानों का तीन वर्षो का आय व्ययक (अंकेक्षित एवं प्रमाणित)

उपलब्ध एवं प्रमाणित	अनुपलब्ध	उपलब्ध किन्तु अप्रमाणित

अभिमत सहित ....

(ख) प्रस्तावित शिक्षा संस्थान का आरंभिक तीन वर्षो के लिए बजट प्राक्कलन

		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	अभिमत
1)	वेतन एवं भत्तों के लिए राशि वर्गवार (गणनापूर्वक) अभिलेख सहित				
	शैक्षणिक				
	गैर शैक्षणिक				
2)	उपकरणों पर				
3)	फर्नीचर पर				
4)	क्रीडा सामग्री पर				
5)	पुस्तकों पर				
6)	नैमितिक व्ययों पर				
7)	स्थायी विकास भूमि/भवन आदि हेतु				

(टीप. यदि अतिरिक्त कुछ हो)____

——

____

——

दिनांक ....

निरीक्षण समिति सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007